

शासनादेश संख्या 133 / 14-2-95-500441 / 1993 दिनांक 27 मार्च 1995 के अनुसार वर्ष 2016-17
के लिए यूकेलिप्टस की रायलटी निर्धारण की गणना

क्र.सं.	वर्ष	पेपर मीलों को आपूर्ति हेतु विक्रय मूल्य (रु0 में)		विक्रय मूल्य का 55 प्रतिशत रायलटी के रूप में वन विभाग को देय (रु0 में)	
		प्रति घ0मी0 (क्वाटर गर्ड)	प्रति वाल्यूम मीट्रिक टन	प्रति वाल्यूम मीट्रिक टन	प्रति घ0मी0 (सिलिन्ड्रिकल आयतन)
1	2016-17	4240	4719	2595	1833